



# बिहार विधान सभा

## कार्य सूची

सप्तदश विधान सभा

द्वितीय सत्र

बुधवार, तिथि 10 मार्च, 2021 ई०

19 फाल्गुन, 1942 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

### प्रश्नोत्तर

1. तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर ।

#### ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

2. सर्वश्री गोपाल रविदास, सत्यदेव राम एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पथ निर्माण विभाग] की ओर से वक्तव्य ।
3. सर्वश्री प्रणव कुमार, बीरेन्द्र कुमार एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

#### सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

4. उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन" एवं "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन" तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।
5. उप मुख्य (वित्त) मंत्री, श्री तारकिशोर प्रसाद प्रस्ताव करेंगे कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष 2017-18 का "सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन" एवं "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन" तथा बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के "वित्त लेखे (खण्ड-1 एवं 2)", "विनियोग लेखे" तथा "राज्य का वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति एवं सरकारी उपक्रम समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो ।"
6. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (भर्ती) (संशोधन) विनियमावली, 2014; बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014; बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सचिवालय



लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011; बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016; बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017; बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार समूह "घ" (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2012; बिहार समूह "घ" (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013; बिहार समूह "घ" (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019; बिहार सरकारी सेवक आचार (संशोधन) नियमावली, 2017; राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2017; स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह "घ" संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2016; स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह "घ" संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019 एवं बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018 की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना ।

7. बिहार विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का (यदि हो) सभा के समक्ष रखा जाना ।
8. याचिकाओं का उपस्थापन ।

**मध्याह्न-विराम (1.00 बजे अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न)**

**वित्तीय कार्य**

9. वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-08 (पथ निर्माण विभाग; पंचायती राज विभाग; कला, संस्कृति एवं युवा विभाग; लघु जल संसाधन विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान ।  
[मांग एवं कटौती प्रस्ताव की सूची (पूरक खंड-08) अलग से वितरित की जा रही है]
10. अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो) ।
11. शोक प्रकाश ।

**राज कुमार सिंह**  
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021-

1330

/वि०स०, पटना, दिनांक- 9 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार/ राज्यपाल के सचिव, बिहार/ कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / संसदीय कार्य विभाग / विधि (विधान) विभाग / निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग / महाधिवक्ता बिहार, पटना उच्च न्यायालय / लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली / सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021-

1330

/वि०स०, पटना, दिनांक- 9 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

  
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-02/2021-

1330

/वि०स०, पटना, दिनांक- 9 मार्च, 2021 ई० ।

प्रतिलिपि :- बिहार विधान सभा के निदेशक / उप सचिवगण/ अवर सचिवगण / श्रव्य एवं दृश्य इकाई, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
(राजीव कुमार)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

  
89/3/21